(c)- whether Government have applied for ADB or World Bank loan for the development of this Highway; and

(d) if so, the position in this regard and the time scheduled for the development of this Highway?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) During this period i.e. from January 98 to 26 November, 1998, eight number of accidents have been reported in Orissa portion of NH 23 starting from B;',narpal to Birmitrapur. For Bihar portion i.e. from Birmitrapur to Ranchi, no accident has been reported.

(b) To improve this National Highway of about 282 km length, the Ministry, during 8th Plan and in AP 1997-98, approved the following development works:—

(i) Fourteen jobs of widening and strengthening covering 87 kms is in progress and other improvement of 14 nos. of works are in progress. At present there is no proposal to 4 lane NH-23.

(c) No-loan assistance has been sougnt either from World Bank or ADB for development of NH-23.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय राजमार्गो के उन्नयन के लिए बाह्य सहायता

289.**श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गो के उन्नयन हेतु विशेष परियोजनाएं लागू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1995 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां,तो अब तक कुल कितनी सहायता किन-किन राजमार्गो के लिए ली गई थी और यह सहायता किन-किन देशों से प्राप्त की गई थी ;

(ग) इसके अन्तर्गत किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गो को शामिल करने की कार्यवाही 1995 तक की गई है;और

(घ) उक्त समझौते के मुख्य अंशों का ब्यौरा क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.देवेन्द्र प्रधान): (क) और(ख) वर्ष 1995 में विदेशी ऋणों के लिए तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए । एशियाई विकास बैंक के साथ 245 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण पर हस्ताक्षर किए गए । 10,663 मिलियन येन के दो ऋणों पर ओवरसीज इकॉनोमिक कोआपरेशन फंड,जापान के साथ हस्ताक्षर किए गए । इन ऋणों के अंतर्गत,एशियाई विकास बैंक से प्रतिपूर्ति के तौर पर अब तक 164.3 करोड़ रू.प्राप्त हुए हैं । इन ऋणों में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के नाम विवरण-। में दिए गए हैं । (**नीचे देखिए**)

1995 से पूर्व विदेशी ऋण सहायता के अंतर्गत शामिल अन्य राष्ट्रीय राजमार्गो के ब्यौरे विवरण-॥ में दिए गए हैं । (**नीचे देखिए**)

(घ) ऋण करारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

ऋण अवधि – 4 से 9 वर्ष

अदायगी अवधि – 15 से 20 वर्ष

वितरण – उपयुक्त व्यय का 75% से 100%

विवरण-।

1995 में हस्ताक्षरित विदेशी ऋणों के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय खंडों के नाम

क्रम सं.	वित्तपोषण एजेंसी	राज्य	रा.रा.	परियोजना का नाम
1.	एशियाई विकास बैंक(ए.विं.बैंक)	हरियाणा एंव राजस्थान	8	गुड़गांव-कोटपुतली खंड को चार लेन का बनाना ।
2.	ए.वि.बैंक.	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज-पानागढ़ खंड को 4 लेन का बनाना ।
3.	ए.वि.बैंक.	बिहार	2	बरवा अड्डा-बराकेर खंड को 4 लेन का बनाना ।

क्रम सं.	वित्तपोषण एजेंसी	राज्य	रा.रा.	परियोजना का नाम
4.	ए.वि.बैंक.	आन्ध्र प्रदेश	9	नंदीग्राम – विजयबाड़ा खंड का सुदृढ़ीकरण।
5.	ए.वि.बैंक	आन्ध्र प्रदेश	5	विजय-झलरू खंड का सुदृढीकरण
6.	ओवरसीज इकॉनामिक को.आपरेशन फंड जापान (ओ.ई.सी.एफ)	उड़ीसा	5	जगतपुर-चंडीखोल खंड को 4 लेन का बनाना।
7.	ओ.ई.सी.एफ.	उत्तर प्रदेश	24	हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद-हापुड़ खंड को 4 लेन का बनाना।

विवरण-II

वर्ष 1995 से पूर्व विदेशी ऋणों के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सूची

क्र.सं.	वित्त-पोषक एजेंसी	राज्य	रा.रा.	परियोजना का नाम
1.	विश्व बैंक	गुजरात	रा.रा. (एन.ई.-1)	रा.रा-1 पर अहमदाबाद बड़ोदरा के बीच नए दोहरे कैरिजवे का निर्माण
2.	विश्व बैंक	हरियाणा	1	4-लेन में चौड़ा करना और मुर्थल से करनाल तक कैरिजवे को सुदृढ करना।
3.	विश्व बैंक	पंजाब	1	4-लेन में चौड़ा करना और सरहिंद से जालंधर तक मौजूदा कैरिजवे को सुदृढ़ करना।
4.	विश्व बैंक	तमिलनाडु	45	अतिरिक्त 2-लेन का प्रावधान और पक्काथुरई-बेलुपुरम खंड को सुदृढ़ करना।
5.	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल	2	मुख्य कलकत्ता-दिल्ली कॉरिडोर में धनकुनी और पालसित को जोड़ने वाली 2-लेन सड़क का निर्माण
6.	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश		वाराणसी बाइपास का निर्माण जिसमें गंगा के ऊपर पुल भी शामिल हैं।
7.	विश्व बैंक	हरियाणा	1	करनाल-अम्बाला खंड को 4-लेन का बनाना।
8.	विश्व बैंक	पंजाब	1	सरहिंद-पंजाब/हरियाणा सीमा खंड को चार-लेन का बनाना।
9.	विश्व बैंक	उड़ीसा	5	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड को चार लेन का बनाना
10.	विश्व बैंक	मध्य प्रदेश	3	इन्दौर बाइपास सहित इन्दौर-देवास खंड को चार लेन का बनाना।
11.	विश्व बैक	महाराष्ट्र	8	बसीन क्रीक-मेनर खंड को चार-लेन का बनाना।
12.	विश्व बैंक	पश्चिम बंगाल	2	रानीगंज-पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा खंड को चार-लेन का बनाना।

क्रम सं.	वित्तपोषण एजेंसी	राज्य	रा.रा.	परियोजना का नाम
13.	एशियाई विकास बैंक (ए.वि.बैंक)	आन्ध्र प्रदेश	5	अनकपल्ली-विशाखापत्तनम खंड को चार लेन में चौड़ा करना जिसमें अनकपल्ली बाइपास को सुदृढ़ करना भी शामिल हैं ।
14.	ए.वि.बैंक	हरियाणा	2	चार-लेन में चौड़ा करना जिसमें बल्लभगढ़-हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा खंड के मौजूदा दो-लेन को सुदृढ़ करना शामिल हैं ।
15.	ए.वि.बैंक	उत्तर प्रदेश	2	चार-लेन में चौड़ा करना जिसमें हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से मथुरा तक के खंड के मौजूदा दो-लेन को सुदृढ़ करना भी शामिल हैं ।
16.	ए.वि.बैंक.	कर्नाटक	7	बंगलूर-होस्र खंड को चार-लेन का बनाना ।
17.	ए.वि.बैंक	केरल	47	अलवाय-शेरतलाई खंड को चार लेन का बनाना ।
18.	ए.वि.बैंक	राजस्थान	8	अछरोल-कोटपुतली खंड को चार-लेन का बनाना ।
19.	ओवरसीज इकॉनोमिक (ओ.ई.सी.एफ.)	उत्तर प्रदेश	2	मथुरा-आगरा खंड को चार-लेन का बनाना ।
20.	ओ.ई.सी.एफ.	उत्तर प्रदेश	27	एप्रोच रोड सहित इलाहाबाद/नैनी में यमुना नदी पर पुल
21.	ओ.ई.सी.एफ.	आन्ध्र प्रदेश	5	रिलाकलूरीपेट-विजयवाड़ा खंड को चार लेन का बनाना ।

National Expressways to Link Ports

290. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up National expressways to link all major ports in the country;

(b) if so, the expenses involved therein; and

(c) by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Government proposes to develop Expressways to manage the total transport requirement which would also include linkage to Ports.

(b) and (c) The proposals are in conceptual stage and it is not possible to give details of cost, time etc.

Nhava Sheva International Container Terminal

291. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will, the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Nhava Sheva International Container Terminal has sought approval of Tariff Authority for denominating the tariff for its container terminal project in dollars;

(b) if so, the details of the proposal;

(c) what is the reaction of the Authority thereto and the decision taken in the matter; and